कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 823 / 2021 / 10–11 / 1794 भोपाल, दिनांक 08-06-21

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

श्री ब्रिजेन्द्र स्वरूप,
वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– **Diversion of 622.783 ha. forest land of Survey No. RF-276, 281 & PF -277, 278, 279, Village- Muhair and Padri, Range Baidhan in Singrouli Forest Division for Block-B Expansion Opencast Coal Mining in favour of M/s Northern Coalfiled No. Limited in Singruli District of Madhya Pradesh (Online FP/MP/MIN/44294/2020) - regarding.**

संदर्भः– भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक File No.8-08/2021-FC दिनांक 20.04.2021

----0----

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण की स्वीकृति जारी करने के पूर्व 08 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :–

(i) The Mining lease boundary on Survey of India Topo-sheet shall be submitted.
आवेदक संस्था ने लीज बाउण्ड्री को सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट पर अंकित कर दिया है। टोपोशीट की प्रति परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

(ii) An area of about 549.76 Ha Forest land has been proposed for External over burden dumping purpose. Justification for not carrying out this activity on non-forest land shall be submitted.
आवेदक संस्था द्वारा इस संबंध में निम्नानुसार अवगत कराया गया है :–
Due to following reasons the above forest land is required:
(a) Due to steep gradient of coal seam (4°-12°) and technical feasibility only a small volume of overburden has been considered for internal dump.
(b) An option for External dump on non-forest land was assessed and around rehabilitation of 2000 PAFs of 07 villages will be required. To overcome/avoid huge relocation of densely populated village and markets, an area close to the incrop zone with least canopy of forest (open forest) has been chosen.Total land requirement reduced in this option from 1391.54 Ha to 744.34 Ha.
(c) The proposed forest land is almost open forest.
(d) All the conditions of compensatory afforestation as per the stipulated guidelines shall be adhered.

(iii) In the Site Inspection Report of both DFO & CCF, it is reported that the forest area applied for diversion is free from all sort of encroachment. However, from the google earth imagery settlements are seen in the proposed forest area. Therefore, the same needs clarification.

वनमण्डलाधिकारी, सिंगरौली द्वारा इस संबंध में अवगत कराया है कि गूगल अर्थ पर वनभूमि में अतिक्रमण दिख रहा है, उसका परिक्षेत्र अधिकारी से सत्यापन कराया गया है। सत्यापन में प्रस्तावित वन क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया है।

(iv) The R&R Plan may be furnished in case, if rightful forest dwellers exist in the proposed forest area for diversion.

आवेदक संस्था द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत किसी प्रकार के वन अधिकार नहीं दिये गये हैं। आवेदक संस्था ने इस संबंध में वनाधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इस वनाधिकार प्रमाण पत्र को प्रस्ताव के भाग–2 में अतिरिक्त जानकारी के कॉलम में बिन्दु क्रमांक–32 में अपलोड किया गया है। FRA प्रमाण पत्र की प्रति परिशिष्ट–2 में संलग्न है।

(v) Analysis of the KML files has revealed that the portion of adjoining mining activity is overlapping with the instant forest area sought for diversion. Therefore, it may be clarified whether any non-forestry activity has been carried out in the applied forest land or not. In case there is no non-forestry activity then the forest area KML files may be verified and corrected.

आवेदक संस्था द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वनक्षेत्र में किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया गया है। क्षेत्रीय वनाधिकारियों द्वारा भी प्रस्ताव में किसी प्रकार का उल्लंघन न होने का लेख किया है।

(vi) Examination of the CA, KML files through DSS revealed that the CA patches namely PF 155 [Range; Gorbi, (Area: 51.097 Ha)], PF 594 [Range; West Sarai (Area: 49.873 Ha)] and PF 659 [Range; West Sarai (Area: 43.117 Ha)] are overlapping with the CA patches of another proposal i.e. [Proposal No: FP/MP/MIN/6177/2014). In addition, One CA patch namely PF 22 [Range; Chitrangi (Area: 35.004 Ha)] is having VDF (Very Dense Forest) in 24 Ha area as per the ISFR-2019. Therefore, these four CA patches comprising a total of 179.092 ha area for carrying out plantation work in the Forest land are summarily rejected. Hence, the balance area for the CA shall again be submitted.

वनमण्डलाधिकारी, सिंगरौली ने मौके स्थल का निरीक्षण कर अवगत कराया है कि कक्ष क्रमांक 155 में प्रस्तावित 50 हेक्टेयर का वनक्षेत्र पूर्व में स्वीकृत प्रोजेक्ट में लिये गये वैकल्पिक वृक्षारोपण के क्षेत्र से भिन्न है। अतः इस स्थल को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन में कक्ष क्रमांक 594 में प्रस्तावित 50 हेक्टेयर तथा कक्ष क्रमांक 659 में प्रस्तावित 44 हेक्टेयर के स्थान पर कक्ष क्रमांक 674 में 94 हेक्टेयर वनक्षेत्र का चयन कर इसे क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार कक्ष क्रमांक 22 में 30 हेक्टेयर के स्थान पर कक्ष क्रमांक 82 में 35 हेक्टेयर वनक्षेत्र का चयन कर इसे क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के भाग–2 में नवीन दोनों स्थलों (कक्ष क्रमांक 674 में 94 हेक्टेयर तथा कक्ष क्रमांक 82 में 35 हेक्टेयर) की KML फाईल तथा वृक्षारोपण योजनाऐं अपलोड कर दी गई है।

(vii) It is also observed through DSS tool that two CA patches namely PF-164 (Range; Gorbi) and PF-64 (Range; Chitrangi) already have plantation works carried out in the past. Therefore, the state govt. shall verify and submit an undertaking that no plantation activity has been carried out in last 10 years for all the patches identified and proposed for CA along with the Site Suitability Certificate.

वनमण्डलाधिकारी, सिंगरौली ने इस संबंध में अवगत कराया है कि इन दोनों स्थलों पर विगत 10 वर्षों में किसी प्रकार का रोपण नहीं किया गया है।

(viii) The DFO and CCF reported about the existence of Elephant Corridor in the Compartment No. RF 276, 281, PF-277, 278 arnd 279 which are proposed for diversion under Singrouli Forest Division. In this regard, the comments of CWLW shall be submitted along with the site specific plan, if required, addressing the mitigative measures to be adopted while considering the proposal for diversion under FCA, 1980. In view of the above, the state govt. is requested t

इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि सिंगरौली वनमण्डल की अन्य योजनाओं जैसे दूधी चुआ, बीना कांकरी आदि में वनमण्डलाधिकारी, सिंगरौली ने कार्य आयोजना में लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हाथी कॉरीडोर में आने का उल्लेख किया है। इस संबंध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा पूर्व में ही अभिमत दिया गया है कि वर्तमान में इस वनक्षेत्र में किसी प्रकार का हाथी कॉरीडोर नहीं है। DSS Analysis से भी इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

08/06/2021
(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ—1 / 823 / 2021 / 10—11 / 1795 भोपाल, दिनांक 8-06-21

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) रीवा वृत्त रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, नॉर्दर्न कोलफील्डस् लिमिटेड, ब्लॉक—बी परियोजना, पोस्ट—गोरबी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

08/06/2021
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Legend

- 7.5m_Safety_Zone
- Leasehold_8MTPA
- Forest Area To be Aqired_ 623.25Ha

RF : 1:50,000

PRASHANT VERMA
Sr. SURVEYOR
BLOCK-B, PROJECT

वन पर्यवेक्षक
Forest Supervisor
एनसीएल ब्लाक-बी परियोजना
NCL, Block-B Project

NO (FOREST)
BLOCK-B

स्टाफ अधिकारी (खनन)
Staff Officer (Mines)
ब्लाक-बी परियोजना
Block-B Project

23/01/2020
महा प्रबंधक
ब्लाक-बी परियोजना

कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास,) जिला–सिंगरौली

क्रमांक / 3748 /आदि.वि./वन अधि./2021 सिंगरौली दिनांक 06/02/2021

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत आयोजित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 02.02.2021 का कार्यवाही विवरण

--00--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत आज दिनांक 02.02.2021 को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित रहे।

1. श्री राजीव रंजन मीना कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
2. श्री विजय सिंह, वन मण्डलाधिकारी /सदस्य, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
3. श्री संजय खेडकर सहायक आयुक्त /सचिव, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सिंगरौली द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत निरस्त दावों के संबंध में निर्धारित एजेण्डा वार निम्नानुसार प्रकरणों पर निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–1.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत निरस्त दावों के निराकरण हेतु एमपी वनमित्र पोर्टल द्वारा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समितियों से प्राप्त आदिवासी वर्ग के दावे 35 एवं अन्य परम्परागत वर्ग के 197 दावों का प्रकरण वार परीक्षण किया गया। उक्त समस्त प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समितियों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर दावों को अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरणों को वनमित्र पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही सहायक आयुक्त आदिवासी विकास)

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–2

महाप्रवंधक नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटिड ब्लाक–वी क्षेत्र में कोयला उत्खनन हेतु निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हो रही है –

क्र.	उपखण्ड का नाम	प्रभावित ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा
1	सिंगरौली	मुहेर वन क्षेत्र	RF 276	73.023
2		पड़री वन क्षेत्र	RF 277	11.059
			RF 278	118.515
			RF 279	214.769
			RF 281	205.417
			Total	622.783

प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ग्रामीण/शहरी बैढ़न से प्राप्त प्रस्ताव का भी परीक्षण किया गया। वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत गठित त्रिस्तरीय वन अधिकार समिति से व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की गई जिस पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्णय लिया गया।

कलेक्टर
जिला–सिंगरौली

पृ.क्रमांक / 3749 / आदि.वि. / वन अधि. / 2020 सिंगरौली दिनांक 06/02/2021

प्रतिलिपिः—

1. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें म.प्र. भोपाल।
2. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली।
3. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा संभाग रीवा।
4. अनुविभागीय अधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / सचिव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न।
6. महाप्रबंधक नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटिड ब्लाक–बी जिला–सिंगरौली।

कलेक्टर

जिला–सिंगरौली

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector SINGRAULI

****

No.3750FRA/TRIBAL/41/2021 SINGRAULI Dated..06/02/2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCREN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) of the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. it is certified that 622.783 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of BLOCK-B Project Gorbi of M/s Northern Coalfields Limited, Singrauli (Govt. of India Undertaking) for Opencast Coal Mining in Singrauli district falls within jurisdiction of (Pnchayat – Padari and urbun- muher) in compartment no RF 276, RF 277, RF 278, RF 279, RF 281.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 622.783 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committees(s), gram Sabha(s), Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, Singrauli are enclosed as annexure 1 to (1-21) annexure 2.(1-6)

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular / local language) have been placesd before each concerned gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and the details for proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram sabha of (Pnchayat – Padari and urbun- muher) Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, Singrauli District level Forest Rights Committee, Singrauli and is enclosed annexure 3(1-45) to annexure 4.(1)

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when There was a quorum of minimum 50% of the Members of Gram Sabha presence,

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.As above.

Collector
DISSTT-SINGRAULI

9

प्रपत्र क्रमांक दस

जिला स्तरीय समिति की बैठक पंजी

(15)

जिला........ 2020-2021 वर्ष........

बैठक की तिथि एवं समय	बैठक हेतु नियत स्थान	बैठक हेतु जारी सूचना पत्र का विवरण क्रमांक दिनांक एवं किन–किन को जारी किया गया	बैठक में नये सदस्यों के नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर
1	2	3	4
02/02/2021 1:30 PM	कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सिंगरौली	सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास) जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक/3643/आदि.वि./वन अधि./2021 सिंगरौली दिनांक 01/02/2021 द्वारा सूचना पत्र जारी:- 1. श्री राजीव रंजन मीना कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली 2. श्री विजय सिंह वनमण्डलाधिकारी/सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली 3. श्री संजय खंडकर सहायक आयुक्त/सचिव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली 4. श्री तिलक राज सिंह जिला पंचायत सदस्य/सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली 5. श्रीमती प्रभा सिंह सदस्य जिला पंचायत/सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली 6. श्रीमती शान्ति सिंह सदस्य जिला पंचायत/सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली	[illegible] (हस्ताक्षर)

क्र.	दावा क्रमांक	दावेदार/पिता का नाम	वर्ग	विकासखंड	ग्राम	दु.पंजी क्र.	निर्णय
	बैठक की विषयवस्तु (दावे/अर्जियों की सूची दी जाये)		विचारण में लिए गए प्रत्येक दावे/अर्जी पर समिति का विनिश्चय ❖				
1	NP50338200008	[illegible]	अ.ज.जा.	सिंगरौली	[illegible]	13300	अमान्य
2	NP50349400015	[illegible]/देवनारायण	-"-	-"-	मुहेर	13415	-"-
3	NP50349400013	[illegible]	-"-	-"-	-"-	13417	-"-
4	NP50349400060	[illegible]	-"-	-"-	-"-	13426	-"-
5	NP50349800019	[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	13433	-"-
6	NP50371600143	[illegible]/मोहर सिंह	-"-	बैढ़न	[illegible]	1056	-"-
7	NP50385700022	वीर सिंह/[illegible] सिंह	-"-	-"-	[illegible]	1084	-"-
8	NP50385700050	[illegible]/महावीर	-"-	-"-	-"-	1090	-"-
9	NP50385700049	[illegible]/दुर्जन सिंह	-"-	-"-	-"-	1096	-"-
10	NP50385700019	[illegible]	-"-	-"-	-"-	1098	-"-
11	NP50385700021	[illegible]	-"-	-"-	-"-	1099	-"-
12	NP50366300313	कौशल/[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	2464	-"-
13	NP50387100032	[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	16367	-"-
14	NP50376900013	[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	16432	-"-
15	NP50371400108	[illegible]/[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	16646	-"-
16	NP50374900059	[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	16818	-"-
17	NP50375700044	[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	16824	-"-
18	NP50375500007	[illegible]	-"-	-"-	-"-	16833	-"-
19	NP50375500046	[illegible]	-"-	-"-	-"-	16836	-"-
20	NP50375500031	[illegible]/[illegible]	-"-	-"-	-"-	16860	-"-
21	NP50371700023	[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	16921	-"-
22	NP50371600149	[illegible] सिंह/[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	16953	-"-
23	NP50380700013	[illegible] सिंह	-"-	-"-	[illegible]	17014	-"-
24	NP50378100060	[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	17055	-"-
25	NP50376200001	[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	21438	-"-
26	NP50376200002	[illegible]	-"-	-"-	-"-	21439	-"-
27	NP50375500029	[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	22964	-"-
28	NP50375500119	[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	22986	-"-
29	NP50371700049	[illegible]	-"-	-"-	[illegible]	23064	-"-

❖ "कालम छः में प्रत्येक विनिश्चय के नीचे समिति के अध्यक्ष (कलेक्टर) एवं सदस्य सचिव के आद्यक्षर (Initials) अवश्य अंकित कराये जाये।

कार्यालय नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक 881/उपखण्ड स्तरीय वन अधि0स0/2020, सिंगरौली दिनांक–28-12-2020

प्रति,

सहायक आयुक्त
अदिवासी विकास बैढ़न
जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

विषय– वनाधिकार समिति के कार्यवाही विवरण की जानकारी वावत्।

––0––

विषयांकित के संबन्ध में निवेदन है कि मोहल्ला समिति के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 20.11.2020 के उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के बैठक का अयोजन कर एन0सी0एल0 ब्लाक–बी विस्तार परियोजना अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 02 ग्राम मुहेर के व्यपवर्तन हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर आपकी ओर अनुसंषित प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध का कार्यवाही विवरण एवं मोहल्ला समिति का प्रतिवेदन एवं कार्यवाही पंजी की छायाप्रति आपकी ओर सम्प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

सचिव/उपायुक्त
उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
नगर निगम, सिंगरौली

01/02/2021

कार्यालय नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक / /उपखण्ड स्तरीय वन अधि0स0/2020 सिंगरौली दिनांक–

कार्यवाही विवरण

एन0सी0एल0 ब्लाक–बी विस्तार परियोजना अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 02 ग्राम मुहेर की वन खण्ड क्र0 RF- 276 रकवा 73.023 हे0 वन भूमि के व्यपवर्तन के सम्बन्ध में वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानो के तहत उपखण्ड स्तरीय बैठक का कार्यवाही विवरणः–

कलेक्टर महोदय सिंगरौली के आदेश क्रमांक 3079/आदि0वि0/वन अधि0/41/2015 सिंगरौली दिनांक 12.10.2015 के अनुसार गठित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न सिंगरौली (म0प्र0) की बैठक सूचना क्रमांक 2483 दिनांक 04.06.2016 के अनुशरण में आज दिनांक 20.11.2020 को समय 4:00 बजे नगरनिगम सिंगरौली के सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

एन0सी0एल0 ब्लाक–बी विस्तार परियोजना के लिए वार्ड क्र. 02 मुहेर क्षेत्र के अन्तर्गत 73. 023 हे0 वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत मोहल्ला समिति के द्वारा दो तिहाई बहुमत के साथ अनुसंशित वार्ड का प्राप्त प्रतिवेदन का सारवृत सहित प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष विचारण हेतु रखा गया। बैठक में चर्चा के दौरान उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा एन0सी0एल0 ब्लाक–बी विस्तार परियोजना के लिए वार्ड क्र. 02 मुहेर क्षेत्र के अन्तर्गत 73.023 हे0 वन भूमि के व्यपवर्तन किये जाने में किसी भी प्रकार की आपत्ति जाहिर नही की गई और न ही प्रस्तावित भूमि के किसी भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के व्यक्तिगत या सामूहिक दावेदार पाये गए।

अतः ऐसी स्थिति में उपखण्ड स्तरीय समिति उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का पूर्ण बहुमत के साथ अनुसंशा करती है।

अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति/
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड बैढ़न

सचिव/उपायुक्त
उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
नगर निगम, सिंगरौली

उपवन मण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल, बैढ़न

नगरीय संस्था के प्रतिनिधि
(जोनल अधिकारी)
नगर निगम, सिंगरौली

अनारकली
श्रीमती अनारकली
सदस्य
अनुसूचित जनजाति

मुनिया
श्रीमती मुनिया देवी
सदस्य
अनुसूचित जाति

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार के बैठक का कार्यवाही विवरण

कार्यालयीन सूचना क्रमांक 4251 दिनांक 18.11.2020 के निर्धारित कार्यक्रमानुसार वार्ड क्रमांक 02 मुहेर स्रोत के लिए भूमि अपवर्तन के संबंध में लिए अनुसूचित जाति एवं वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न सिंगरौली की बैठक उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 20.11.2020 को निर्धारित समय एवं स्थान पर सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नानुसार समिति के पदाधिकारी उपस्थित हुए। जिसका विवरण निम्न है:-

i) उपखण्ड अधिकारी, सिंगरौली	अध्यक्ष
ii) उप वन मण्डलाधिकारी, सिंगरौली (बैढ़न)	सदस्य
iii) श्रीमती अनारकली, अनुसूचित जनजाति	अनारकली सदस्य
iv) श्रीमती मुनिया देवी, अनुसूचित जाति	मुनिया सदस्य
v) श्री आर. पी. बैस, उपायुक्त	सदस्य/सचिव
vi) जोनल अधिकारी, उप कार्यालय मोरवा	जोनल अधिकारी

कलेक्टर महोदय सिंगरौली के आदेश क्रमांक 13070/आदि वि०/वन अधि०/प्रा/2015 सिंगरौली दिनांक 12.10.2015 के अनुसार गठित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न सिंगरौली (म०प्र०) की बैठक सूचना क्र० 2483 दिनांक 04.06.2018 के अनुसरण में आज दिनांक 20.11.2020 को समय 04:00 बजे नगर निगम सिंगरौली के सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है।

एन.सी.एल. ब्लाक-B विस्तार परियोजना के लिए वार्ड क्र० 02 मुहेर स्रोत के अन्तर्गत 73.023 हे० वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत

वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत मोहल्ला समिति के द्वारा दो तिहाई बहुमत के साथ अनुशंसित वार्ड का प्राप्त प्रतिवेदन का साक्ष्य सहित प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु रखा गया। बैठक मे चर्चा के दौरान उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा एन.सी.एल. ब्लाक की विस्तार परियोजना के लिए वार्ड क्र० 2 मुहेर क्षेत्र के अन्तर्गत 73.023 हे० वन भूमि के अपवर्तन किए जाने मे किसी भी प्रकार की आपत्ति जाहिर नही की गई और न ही प्रस्तावित भूमि के किसी भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के व्यक्तिगत या सामुहिक दावेदार पाये गए।

अत: ऐसी स्थिति मे उपखण्ड स्तरीय समिति उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का पूर्ण बहुमत के साथ अनुसंशा करती है।

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
सिंगरौली (उपखण्डीय)

सचिव
वन अधिकार समिति
सिंगरौली (उपखण्डीय)

<u>कार्यालय नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म.प्र.)</u>

क्रमांक/4251/उप.स्तरीय वन अधि.समि./2020, सिंगरौली,दिनांक– 18/11/20

<u>सूचना</u>

कलेक्टर, जिला–सिंगरौली के आदेश, क्रमांक/3079/आदि.वि./वन अधि./41/2015, सिंगरौली, दिनांक 12/10/2015 के अनुसार गठित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, बैढ़न, सिंगरौली (म0प्र0) के सभी अधिकारियों/अशासकीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि एन.सी.एल. निगाही परियोजना अन्तर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के संबन्ध में (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत ग्राम मुहेर तह0 व जिला सिंगरौली में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन खण्ड क्र0 RF- 276 कुल प्रस्तावित रकवा 73.023 हे0 प्रस्तावित वन भूमि में व्यक्तिगत या सामुदायिक दावा पर कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी के अध्यक्षता में उक्त समिति की बैठक 20.11.2020 को समय 4:00 बजे सायं निगम कार्यालय में आयोजित किया गया है।

उक्त समिति की बैठक में निर्धारित समयानुसार आप अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।

उपायुक्त/सचिव
उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
नगर निगम सिंगरौली,

पृ0क्र0/4252/उप.स्तरीय वन अधि.समि./2020, सिंगरौली,दिनांक– 18/11/20

<u>प्रतिलिपि</u>:– समस्त सदस्य उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, बैढ़न

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड बैढ़न,जिला–सिंगरौली (म.प्र.)। (अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, बैढ़न)
2. उप वन मण्डलाधिकारी उप वनमण्डल बैढ़न जिला–सिंगरौली।
3. नगरीय संस्था के प्रतिनिधि (जोनल अधिकारी) नगरपालिक निगम सिंगरौली।
4. श्रीमती अनारकली, उपखण्ड स्तरीय समिति।
5. श्रीमती सुनिया देवी, उपखण्ड स्तरीय समिति।

उपायुक्त/सचिव
उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
नगर निगम सिंगरौली,

मोहल्ला वन अधिकार समिति वार्ड क्रमांक-2 (वार्ड-लक्ष्मीबाई)

नगर निगम क्षेत्र जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

क्रमांक.2216/मो. समिति/2020 सिंगरौली दिनांक 09/09/20

प्रति,

श्रीमान उपायुक्त महोदय

नगर पालिक निगम , कार्यालय वैढन, जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

विषय: एनसीएल, Block-B expansion OCP के पक्ष में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार के दावों का निराकरण करने हेतु मोहल्ला वन अधिकार समिति वार्ड क्रमांक (2) की बैठक एवं कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 2426/न.नि./वन अधि./2020 सिंगरौली दिनांक 07.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में एनसीएल ब्लॉक-बी Expansion OCP के लिए आवश्यक वन भूमि (वन खंड क्रमांक RF-276 कुल प्रस्तावित रकबा 73.023 हेक्ट) नगर निगम सिंगरौली क्षेत्र मध्यप्रदेश के अंतर्गत आती है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में वन अधिकारों के क्रियान्वन हेतु वार्ड क्रमांक 2 (लक्ष्मीबाई वार्ड) में गठित मोहल्ला वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों को पत्र क्रमांक 2196/मो.समिति/2020 सिंगरौली दिनांक 26.08.2020 के माध्यम से सूचित कर दावा आपत्ति के संबंध में दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्धारित तिथि को बैठक की सूचना दी गई। (छायाप्रति संलग्न)।

व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार के दावों को प्राप्त करने के लिए गठित मोहल्ला वन अधिकार समिति की बैठक वार्ड क्रमांक 2 (लक्ष्मीबाई वार्ड) में दिनांक 08.09.2020 को सुबह 11.30 बजे से आयोजित की गई। दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं सर्व साधारण को सूचना देने के संबंध में बैठक के पूर्व सूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में भी किया गया (प्रति संलग्न)। उक्त पूर्व निर्धारित बैठक में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों के साथ-साथ नगर निगम एवं एनसीएल के पदाधिकारी मय दस्तावेज़ के साथ उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सभी जन को वन भूमि के व्यपवर्तन एवं दावों/अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

दिनांक 08.09.2020 की उक्त बैठक में आरक्षित वन खंड 276 (RF-276) के रकबा 73.023 हेक्ट को एनसीएल ब्लॉक-बी Expansion OCP के पक्ष मे व्यपवर्तन (Diversion) हेतु किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा मान्य दावा किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अतः मोहल्ला वन अधिकार समिति वार्ड क्रमांक 2 (लक्ष्मीबाई वार्ड) को ब्लॉक-बी विस्तार ओसीपी के पक्ष में व्यपवर्तन हेतु किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त व्यपवर्तन को बिना किसी आपत्ति के सर्वसम्मति से किए जाने की अनुशंसा भी करती है।

प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार एवं बैठक कार्यवाही का विवरण

मनोज
अध्यक्ष
मोहल्ला वन अधिकार समिति
वार्ड क्रमांक 2

09.09.2020
सचिव
मोहल्ला वन अधिकार समिति
वार्ड क्रमांक 2

09/09/2020
प्रभारी
नगर पालिक निगम
सिंगरौली मोरवा (मध्यप्रदेश)

क्र0/22/87/ मो.समिति/2020

सिंगरौली दि. 09/09/2020

प्रतिलिपि

1. आयुक्त नगर पालिक निगम, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश)
2. आयुक्त (आदिवासी विकास) जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश)
3. सचिव, उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति
4. महाप्रबंधक, ब्लॉक-बी क्षेत्र

कार्यालय नगर निगम सिंगरौली जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

क्रमांक 2196/मो. समिति/2020 सिंगरौली दिनांक 26/08/2020

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव: श्री फुलेश्वर सिंह नगर निगम सिंगरौली

समिति वन अधिकार.

विषयः मोहल्ला समिति /वन अधिकार समिति की बैठक की सूचना के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में दिनांक 08.09.2020 को समय सुबह 11.30 बजे से स्थान शा॰प्रा॰मा॰वि॰ मुहेर में निम्न बिन्दु पर मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति में चर्चा की जाएगी।

"एनसीएल ब्लॉक-बी परियोजना के प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि (वन खंड क्रमांक RF-276 कुल रकबा 73.023 हेक्ट) के संबंध में चर्चा होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अगर संबन्धित वन क्षेत्र में निवासरत हैं या निर्भर हैं तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपना अधिकार मोहल्ला समिति /वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं"।

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने समिति के समस्त सदस्यों के साथ बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

राजस्व अधिकारी
नगर पालिक निगम
सिंगरौली
सिंगरौली दिनांक

पृ.क्र./2197/मोहल्ला समिति/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. कलेक्टर जिला सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त आदिवासी विकास जिला-सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक, ब्लॉक-बी क्षेत्र की ओर सूचनार्थ।

मोहल्ला वन अधिकार समिति बैठक दिनांक 08.09.2020, वार्ड क्रमांक 2 (लक्ष्मीबाई-वार्ड)

नगर निगम क्षेत्र जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

पन्नी-पथरिहा हत्याकांड के 6 आरोपी गिरफ्तार (पेज 12)

5 करोड़ 10 लाख के फर्जीवाड़े के आरोपियों को मिली राहत

सहाकरिता न्यायालय भोपाल ने लगाई रोक

लगभग एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ दर्ज होनी थी एफआईआर

जागरण, रीवा

5.10 करोड़ के इन्दौर संड्रीज घोटाला-2 के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो पायी। जीएम सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा सारी तथ्यों के साथ आवेदन न देने के कारण इन्दौर पुलिस ने आवेदन वापस कर दिया जिसका लाभ आरोपियों को मिल गया। सहकारिता न्यायालय भोपाल द्वारा कार्यवाही में रोक लगा दी गई है।

संड्रीज घोटाला-2

2015 में हुआ था संड्रीज घोटाला का खुलासा

टेंडर हुए एक साल बीता, अब तक स्टेशन में नहीं लगा एटीएम

रीवा। रीवा रेलवे स्टेशन में साल भर बीत जाने के बाद भी एटीएम मशीन स्थापित नहीं हो सकी है।

पशुओं में कैंसर व ट्यूमर की हो सकेगी जांच

हिस्टोपैथालॉजिकल टेस्ट मशीन स्थापित हुई

जागरण, रीवा।

अल्ट्रासोनोग्राफी व जांच मशीन भी आई

इंजी. राजेन्द्र शर्मा बने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता

डॉ विमल पाण्डेय बने अनूपपुर के कांग्रेस चुनाव प्रभारी

स्पोक्स साइकिलिंग क्लब ने शुरू किया वर्चुअल साइकिलिंग इवेन्ट

रीवा। कोरोना परिदृश्य के सम्मान ...

एनजीटी के आदेश पर निगम अधिकारियों का नहीं है ध्यान

रहवासियों ने की दर्जन भर शिकायत राजनैतिक दबाव में नहीं हटा पाए एक डेयरी

सालानापूर्ति कर भूल गए अफसर, अब तक नहीं तैयार हो सकी सूची

सड़क पर बह रही डेयरी की गंदगी।

अब तक नहीं चिन्हित हुआ स्थान

इन विभागों पर जिम्मेदारी, करते हैं लापरवाही

शुरू हुआ बसों का संचालन, क्षमता से अधिक भरे जा रहे सवारी

तार-तार हो रही सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजिंग की भी व्यवस्था नहीं

दोगुना वसूला जा रहा किराया

रीवा-सतना रूट में सबसे ज्यादा भीड़

संक्रमण फैलने का खतरा

डॉ. एमएल गुप्ता ने ग्रहण किया सीएमएचओ का पदभार

शहीद के नाम पर तोरण द्वार बनाए जाने सौंपा ज्ञापन

ऑक्सफोर्ड फाउण्डेशन हायर सेकेण्डरी स्कूल
ISO सर्टिफाइड
नर्सरी से 12वीं तक
प्रवेश प्रारम्भ
• उच्च शिक्षित एवं अनुभवी स्टॉफ
• कम्प्यूटर एवं साइंस लैब
• साइंस, गणित एवं कॉमर्स
• प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम
• प्रतिवर्ष स्पोर्ट डे
• नियमित पैरेन्ट्स मीटिंग
नेहरू नगर, सिरमौर मोड़, रीवा (म.प्र.) मो. 9993219520, 9229706055, 9752023593

कार्यालय नगर पालिका निगम सिंगरौली
जिला : सिंगरौली (मध्यप्रदेश)
क्रमांक Q
दिनांक : 19.08.2020
सार्वजनिक सूचना
आयुक्त
नगर पालिक निगम, सिंगरौली (मध्यप्रदेश)
R-28

जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि
जन्म 25.08.1944
निधन 24.11.2017
आदरणीय श्री चंदनलाल डाबरिया जी
की 76वीं वर्षगांठ पर आज उन्हें याद करते हुए तहेदिल से नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
आपका प्यार एवं आशीर्वाद हमेशा बना रहे।
डाबरिया परिवार - रीवा/सतना

गई है। रिक्त सीटों के विवरण, आवश्यक दस्तावेजों और अन्य जानकारी के लिए एम्स, भोपाल की वेबसाइट **www.aiimsbhopal.edu.in** का अवलोकन करें।

डीन (अकादमिक) एम्स, भोपाल

कार्यालय नगर पालिका निगम सिंगरौली

जिला : सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

क्रमांक Q

दिनांक : 19.08.2020

सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एनसीएल के ब्लॉक-बी परियोजना के लिए मुहेर वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक RF-276 में 73.023 हेक्ट वन भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) के आशय से मुहेर वार्ड में मोहल्ला समितियों/वन अधिकार समितियों के साथ बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सभी अनुसूचित एवं अन्य परम्परागत वनवासी संबन्धित मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रमाण के साथ अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक दिनांक 08.09.2020 को आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है।

आयुक्त

नगर पालिका निगम, सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

R-26

भारत सरकार मिन्ट, मुंबई

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 एवं एनएबीएल/ISO 17025:2017

सर्टीफाईड यूनीट भारत लिमीटेड की सेक्यूरीटी प्रिन्टींग एवं मिन्टींग

दीजिए

कुद

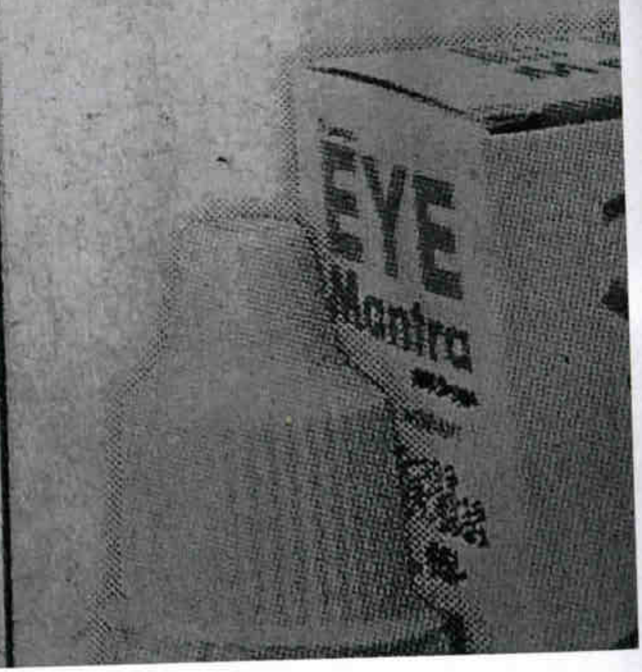

कार्यालय नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक /2426 / न0नि0 / वन अधि. / 2020, सिंगरौली दिनांक– 07.8.2020

प्रति,

प्रभारी अधिकारी राजस्व
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिंगरौली

विषय– समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रो का निराकरण करने वावत्।

संदर्भ– सहायक आयुक्त अदिवासी विकास सिंगरौली का पत्र क्र0 458 दिनांक 26.06.2020

––00––

विषयांकित के सन्दर्भित पत्र का पूर्ण अवलोकन करने का कष्ट करें। कृपया सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिंगरौली का पत्र प्राप्त हुआ है जिसका निराकरण किया जाना है। पत्र की छायाप्रति आपकी ओर प्रोषित है।

अतः आवश्यक कार्यवाही की जाकर इस कार्यालय को जानकारी तीन दिवस के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– पत्र की छायाप्रति।

उपायुक्त
नगरपालिक निगम
सिंगरौली

दिनांक - 08.09.2020

बैठक - दिनांक 08.09.2020 दिन मंगलवार को वन अधिकारों के प्रस्तुत दावों के परीक्षण हेतु मोहल्ला वन अधिकार समिति लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 02 नगर निगम क्षेत्र जिला-सिंगरौली मध्यप्रदेश की कार्यवाही विवरण:-

"एन0 सी0 एल0 ब्लाक बी ओ0 सी0 पी0 के पक्ष में नगर निगम अन्तर्गत वन भूमि R1-27.6 रकबा 13.023 हेक्टे0 के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत न्यायिक क्षेत्र में वन अधिकार के दावों के परीक्षण करने हेतु मोहल्ला वन अधिकार समिति लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 02 की बैठक दिनांक 08.09.2020 दिन मंगलवार को सुबह 11.30 बजे से आयोजित की गई। दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु सम्बंधित क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आमंत्रण व सर्व साधारण को सूचना देने के सम्बंध में बैठक आयोजन के पूर्व सूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया था उक्त एवं निर्धारित बैठक में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष सचिव व सदस्यों के साथ-साथ नगर निगम एवं एन0 सी0 एल0 के पदाधिकारी मुख्य देखरेख के साथ उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित समस्त जनों को वन भूमि के व्यपवर्तन एवं दावा/अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

- दावा आपत्ति निम्नानुसार पायी गई:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार पत्र का नाम	खसरा क्र0 एवं कुल रकबा	अन्य विवरण
1	X	X	X	X

बैठक में आरक्षित वन खंड 276 (रि. 27...
के कक्षा नंबर का क्षेत्र सी.एल. ...
O.C. (7323) के पास में व्यपवर्तन निर्णय हेतु
किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा
मान्य दावा किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत
नहीं किये गए हैं।

अतः मोहल्ला वन अधिकार
समिति वार्ड क्रमांक 02 लक्ष्मीबाई वार्ड कोतमा
की विलायत ओ. सी. पी. के पक्ष में व्यपवर्तन
हेतु किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।
उक्त व्यपवर्तन को बिना किसी आपत्ति के स्वीकृत
किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

मुहल्ला सभा में उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर

क्र0	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	सुभाष कुमार जैसवाल	सदस्य	सुभाष कुमार
2	राजप्रताप सिंह	सदस्य	[signature]
3	भगवान सिंह	—	भगवान सिंह
4	गोपाल जैसवाल	—	गोपाल
5	किशोर प्रसाद सिंह	—	किशोर
6	लालबहादुर सिंह	—	लाल बहादुर सिंह
7	दशरथ प्रसाद	—	दशरथ प्रसाद
8	रामदास जैसवाल	—	रामदास
9	संतोष कुमार साहू	—	[signature]

क्र०	नाम	पद	हस्ताक्षर
10	रामकिशन साकेत	सदस्य	R.m.saket
11	सत्य प्रकाश जायसवाल	—	सत्य प्रकाश
12	रामकिशन	—	—
13	राम प्रसाद जायसवाल	सदस्य	रामप्रसाद जायसवाल
14.	विजय	—	[illegible]
15	रामामिलन जैसवाल	—	अ० नि०
16	दीपेश जैसवाल	—	Dipesh
17	अशोक	—	अशोक रैदास
18.	भगवान दास	—	भगवान प्रसाद
19.	रामजीवन वर्मा	—	रामजीवन वर्मा
20	वंशमन	—	अ० नि०
21	राजकुमार सिंह	—	राजकुमार सिंह
22.	मुन्नी लाल	—	अ० नि०
23	जगधारी सिंह	—	जगधारी सिंह
24.	मोती लाल सिंह	—	मोतीलाल सिंह
25	लालपति सिंह	—	लालपति सिंह

26 गोपाल सिंह - गोपालसिंह

27 रामनरेश जैसवाल - रामनरेश [illegible]

28 शारदा खैरवार - शारदा

29 ददुदे - ददुदे

30 संतोष कुमार अगरिया - अध्यक्ष - संतोष 9575093814

31 ज्वाला प्रसाद जैसवाल - ज्वाला प्रसाद

32 कृपाल सिंह - कृपालसिंह

33 श्री - [illegible] सचिव - [illegible] 28.9.2020

34 सतिश कुमार सिंह - संपदा अधिकारी नं.लि. सिंगरौली [illegible]

35 सुजान दास वरिष्ठ प्रबंधक (खनन) [illegible] 29 [illegible]

36 सुधीर कुमार स्थाई अधिकारी (खनन) [illegible]

37 उपेन्द्र कुमार महाप्रबंधक (खान) [illegible]

38 संतोष कुमार सहायक प्रबंधक (खनन) [illegible] 08/09/2020

39 सुधांशु मिश्रा - वन पर्यवेक्षक [illegible]

40 इन्द्रभान सिंह प्रतिनिधि वन विभाग [illegible] वनरक्षक वीरगंज पश्चि

कार्यालय जनपद पंचायत वैढ़न, जिला–सिंगरौली (म०प्र०) 02/12/2020

क्रमांक / 1290 / वन अधिकार / 2020

बैढ़न, दिनांक 01.12.2020

प्रति,

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला–सिंगरौली (म.प्र)

:– वन भूमि के व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव भेजने बावत्।

:– आपके कार्यालयिन पत्र क./1294/आदि०वि०/वन०अधि०/2020 सिंगरौली, दिनांक 31.08.2020।

———000———

विषयांकित संदर्भित पत्र के अनुपालन मे खण्ड–स्तरीय वन अधिकार समिति ज०प० बैढन की दिनांक .2020 को बैठक बुलाई गई। बैठक मे निम्न लिखित वन भूमि का व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, वन अधि० समिति व ग्राम सभा पड़री के पारित प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है। भूमि का विवरण निम्न लिखित है :–

	वन भूमि के ग्राम का नाम	कक्ष कमांक	रकवा
	पड़री	RF 277	11.059 हे.
	पड़री	RF 278	118.515 हे.
	पड़री	RF 279	214.764 हे.
	पड़री	RF 281	205.417 हे.
	कुल		**549.760 हे.**

उपरोक्तानुसार वर्णित वन भूमि का व्यपवर्तन प्रमाण पर जारी करने का निर्णय SDLC की बैठक मे ...या गया है।

अतः प्रस्ताव की नकल इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– 1. प्रस्ताव की नकल (S.D.L.C. की)
2. ग्राम वन अधिकार समिमि पड़री की नकल।
3. ग्राम सभा पड़री की नकल।

Pramod
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत वैढ़न
जिला–सिंगरौली (म०प्र०)

क्रमांक / 1291 / ज.पं. / वन अधि० / 2020

बैढ़न, दिनांक 02.12.2020

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, जिला सिंगरौली, की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिंगरौली, की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अनु. विभागीय अधिकारी (राजस्व) सिंगरौली, की ओर सादर सूचनार्थ।

Pramod
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत वैढ़न
जिला–सिंगरौली (म०प्र०)

Received
03.12.2020
(सुरेन्द्र तिवारी स्टाफ... A.C. कार्यालय सिंगरौली)

ग्राम वन-अधिकार समिति पडरी, ग्राम पंचायत क्षेत्र पडरी, जनपद पंचायत वैढन, जिला-सिंगरौली

(मध्यप्रदेश)

क्रमांक..04../वनाधिकार समिति पडरी/2020 दिनांक ..09.09.2020

1802
10.9.2020

प्रति,
सरपंच/सचिव महोदय
ग्राम-पंचायत पडरी

विषय: वन अधिकार समिति की कार्यवाही प्रस्तुत करने के संबंध में।
संदर्भ: क्रमांक/1491/ज.पं./स्थापना/2020 वैढन दिनांक 27.08.2020

महोदय,

संदर्भित पत्र के पालन मे ग्राम वन अधिकार समिति पडरी द्वारा बैठक दिनांक 09.09.2020 में लिए गए निर्णय अनुसार ग्राम पडरी की वन भूमि कक्ष क्रमांक PF-277 रकबा 11.059 हेक्ट, PF-278 रकबा 118.515, PF-279 रकबा 214.769 एवं RF-281 रकबा 205.417 हेक्ट, कुल रकबा 549.76 हेक्ट को नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ब्लॉक-बी विस्तार OCP के पक्ष में दिये जाने में ग्राम वन अधिकार समिति पडरी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उपस्थित सदस्यों द्वारा उपरोक्त वन भूमि व्यापवर्तन प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। प्रस्ताव कार्यवाही पंजी अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

अतः उपरोक्त के संबंध में ग्राम सभा आयोजन कर प्रस्ताव पारित कराने का कष्ट करें।

अध्यक्ष
ग्राम वन अधिकार समिति पडरी
जनपद पंचायत वैढन, जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

शिव कुमार कोल
सचिव
ग्राम वन अधिकार समिति पडरी
जनपद पंचायत वैढन, जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

प्रतिलिपि

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला-सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली, जिला-सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व), जिला-सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जनपद पंचायत वैढन कि ओर सादर सूचनार्थ।
5. श्रीमान सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महोदय सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
6. श्रीमान महाप्रबंधक महोदय, एनसीएल ब्लॉक-बी क्षेत्र की ओर सादर सूचनार्थ।

OSD(L&R)
SO(M)

श्री सुधांशु
12/9/2020

ग्राम वन-अधिकार समिति पडरी, ग्राम पंचायत क्षेत्र पडरी, जनपद पंचायत वैढन, जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

कार्यवाही पंजी की नकल

जारी एजेंडा दिनांक 30.08.2020
बैठक दिनांक 09.09.2020
उपस्थित सदस्यों की संख्या-11
उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-कार्यवाही पंजी पर बने हैं ।

प्रस्ताव क्रमांक-1 एनसीएल की ब्लॉक-बी विस्तार OCP के लिए ग्राम पडरी की वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र हेतु ग्राम वन अधिकार समिति पडरी से प्रस्ताव पारित किए जाने के संबंध में।

कार्यवाही विवरण: आज दिनांक 09.09.2020 को पूर्व में जारी सूचना अनुसार ग्राम वन अधिकार समिति पडरी की बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वैढन के आदेश क्रमांक 1491/ज.पं./स्थापना/2020 वैढन दिनांक 27.08.2020 के पालन में श्री सीताराम कोल अध्यक्ष ग्राम वन अधिकार समिति पडरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें उपस्थित सदस्यों एवं संबन्धित पदाधिकारियों की संख्या निम्न हैं।

बैठक में जारी एजेंडा अनुसार ग्राम पडरी की वन भूमि कक्ष क्रमांक PF-277 रकबा 11.059 हेक्ट, PF-278 रकबा 118.515, PF-279 रकबा 214.769 एवं RF-281 रकबा 205.417 हेक्ट, कुल रकबा 549.76 हेक्ट कोयला खदान के लिए भारत सरकार की अनुषंगी कंपनी एनसीएल की ब्लॉक-बी विस्तार OCP के लिए वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव वन अधिकार समिति ग्राम पडरी से चाहा गया है।

उपरोक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला-सिंगरौली के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 458/आदिवि/वन/अधि/2020 सिंगरौली दिनांक 26.06.2020 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिंगरौली/सह अध्यक्ष खंड स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद पंचायत वैढन के पत्रांक 2282 दिनांक 10.08.2020 के आदेश में निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त वन भूमि का व्यपवर्तन प्रमाण पत्र हेतु ग्राम वन अधिकार समिति पडरी से प्रस्ताव पारित किया जाना है। जिसके संबंध उक्त वन भूमियों का स्थल निरीक्षण वन अधिकार समिति पडरी द्वारा पूर्व में निर्धारित तिथि के अनुसार किया गया निरीक्षण के दौरान वन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी, एनसीएल ब्लॉक-बी विस्तार OCP के प्रतिनिधि मौके पर दस्तावेज़ के साथ उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की कोई भी वनाधिकार संबंधी आपत्ति समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई है।

अतः ग्राम पडरी की प्रस्तावित वन भूमि कक्ष क्रमांक PF-277 रकबा 11.059 हेक्ट, PF-278 रकबा 118.515, PF-279 रकबा 214.769 एवं RF-281 रकबा 205.417 हेक्ट, कुल रकबा 549.76 हेक्ट को नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ब्लॉक-बी विस्तार OCP के पक्ष में दिये जाने में ग्राम वन अधिकार समिति पडरी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उपस्थित सदस्यों द्वारा उपरोक्त वन भूमि व्यापवर्तन प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

निर्णय: वन भूमि व्यापवर्तन प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(हस्ताक्षर) 09.9.20 अध्यक्ष ग्राम वन अधिकार समिति पडरी जनपद पंचायत वैढन, जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश) अध्यक्ष वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत पडरी, ज.पं.वैढन	(हस्ताक्षर) 09-9-2020 सचिव ग्राम पंचायत पडरी ज० प० वैढन, जिला-सिंगरौली (म०प्र०)	शिव कुमार कोल सचिव 09.9.20 सचिव ग्राम वन अधिकार समिति पडरी जनपद पंचायत वैढन, जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश) सचिव वन अधिकार समिति ग्राम पडरी, ज.पं.वैढन

कार्यालय ग्राम पंचायत क्षेत्र पडरी, जनपद पंचायत बैढ़न, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

कमांक/14 /ग्रामसभा पडरी/2020 दिनांक–03.10.2020

प्रति,

श्रीमान् मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
जनपद पंचायत बैढ़न जिला सिंगरौली (म0प्र0)

विषयः– नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ब्लॉक "बी" विस्तार (OCP) के पक्ष में ग्राम पड़री की वन भूमि 549.76 हेक्टयेर के व्यापवर्तन हेतु ग्राम वन अधिकार समिति पडरी द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन ग्रामसभा से किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– श्रीमान् की आदेश कमांक/1491/ ज0पं0/स्था0 /2020, बैढ़न दिनांक 27.08.2020.

—00—

महोदय,

संदर्भित आदेश के परिपालन में ग्राम वन अधिकार समिति पडरी की बैठक दिनांक 09.09.2020 में लिये गये निर्णय अनुसार ग्राम पडरी की वन भूमि कक्ष कमांक पीएफ–277 रकवा 11.059 हेक्टेयर, पीएफ–278 रकवा 118.515, पीएफ–279 रकवा 214.769 एवं आरएफ–281 रकवा 205.417 हेक्टेयर, कुल रकवा 549.76 हेक्टेयर नार्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड ब्लॉक "बी" विस्तार (OCP) के पक्ष में दिये जाने हेतु ग्राम वन अधिकार समिति पडरी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होने का प्रस्ताव पारित किया जाकर ग्रामसभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में वन अधिकार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन ग्रामसभा पडरी की बैठक दिनांक 02.10.2020 में उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुमोदन ग्रामसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

अतः ग्रामसभा में अनुमोदित पारित प्रस्ताव की नकल एवं ग्राम वन अधिकार समिति पडरी द्वारा पारित प्रस्ताव की नकल संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

सरपंच
ग्राम पंचायत पडरी
जनपद पंचायत बैढ़न
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सचिव
ग्राम पंचायत पडरी
जनपद पंचायत बैढ़न
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान् वन मण्डल अधिकारी महोदय, सिंगरौली जिला सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व), सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. श्रीमान् सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महोदय, जिला सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
5. श्रीमान् महाप्रबंधक महोदय, एनसीएल ब्लॉक "बी" क्षेत्र की ओर सादर सूचनार्थ।

कार्यालय ग्राम पंचायत क्षेत्र पडरी, जनपद पंचायत बैढ़न, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

ग्रामसभा कार्यवाही पंजी की नकल

जारी एजेंडा दिनांक– 30.09.2020
बैठक दिनांक– 02.10.2020
उपस्थित सदस्यों की संख्या–169
उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर :– कार्यवाही पंजी पर बने हैं।

प्रस्ताव कमांक–5 एनसीएल ब्लॉक "बी" विस्तार OCP के लिये ग्राम पडरी की वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र हेतु ग्राम वन अधिकार समिति पडरी से पारित प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

कार्यवाही विवरण– आज दिनांक 02.10.2020 को पूर्व सूचना अनुसार ग्रामसभा का आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म0प्र0 शासन के आदेश कमांक पं0–~~10~~ ग्रा/एफ–1/2903/2020/11286 भोपाल दिनांक 01.09.2020 के पालन में ग्राम पंचायत भवन पडरी में श्रीमती कुसुम सरपंच महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गयी जिसमें उपस्थित ग्रामवासियों की संख्या निम्नानुसार है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैढ़न के आदेश कमांक 1491/ज0पं0/स्था0/2020, बैढ़न दिनांक 27.08.2020 के आदेश के परिपालन में जारी एजेंडा अनुसार ग्राम पडरी की वन भूमि कक्ष कमांक पीएफ–277 रकवा 11.059 हेक्टेयर, पीएफ–278 रकवा 118.515, पीएफ–279 रकवा 214.769 एवं आरएफ–281 रकवा 205.417 हेक्टेयर, कुल रकवा 549.76 हेक्टेयर कोयला खदान के लिये भारत सरकार की अनुषंगी कंपनी एनसीएल की ब्लॉक "बी" विस्तार OCP के लिये वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र हेतु वन अधिकार समिति पडरी द्वारा दिनांक 09.09.2020 को प्रस्ताव पारित किया जाकर ग्रामसभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

उपरोक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला सिंगरौली के कार्यालयीन पत्र कमांक 458/आदिवि/वन/अधि/2020 सिंगरौली दिनांक 26.06.2020 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिंगरौली/सह अध्यक्ष खंड स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद पंचायत बैढ़न के पत्रांक 2282 दिनांक 10.08.2020 के आदेश में उपरोक्त वन भूमि का व्यपवर्तन प्रमाण पत्र हेतु ग्राम वन अधिकार समिति पडरी से प्रस्ताव पारित कराया जाकर ग्रामसभा में अनुमोदन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः ग्राम पडरी की प्रस्तावित वन भूमि कक्ष कमांक पीएफ–277 रकवा 11.059 हेक्टेयर, पीएफ–278 रकवा 118.515, पीएफ–279 रकवा 214.769 एवं आरएफ–281 रकवा 205.417 हेक्टेयर, कुल रकवा 549.76 हेक्टेयर को नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ब्लॉक "बी" विस्तार OCP के पक्ष में दिये जाने हेतु ग्राम वन अधिकार समिति पडरी द्वारा पारित प्रस्ताव के संबंध में ग्रामसभा को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

निर्णयः– उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा उपरोक्त वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु वन अधिकार समिति पडरी द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 09.09.2020 का अनुमोदन ग्रामसभा में सर्व सम्मति से पारित किया गया।

कुसुम सरपंच ग्राम पंचायत पडरी जनपद पंचायत बैढ़न जिला सिंगरौली (म0प्र0)	सचिव ग्राम पंचायत पडरी जनपद पंचायत बैढ़न जिला सिंगरौली (म0प्र0)

कार्यालय ग्राम पंचायत क्षेत्र पडरी जनपद पंचायत वैढन, जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

क्रमांक../..3../ग्रामसभा/2020 **पडरी** दिनांक ..28..8..2020

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/सदस्यगण

वनाधिकार समिति पडरी

विषय: वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 30.8.20 की सूचना के संबंध में।

संदर्भ: क्रमांक/1491/ज.पं./स्थापना/2020 वैढन दिनांक 27.08.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला सिंगरौली के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 458/आदिवि/वन/अधि/2020 सिंगरौली दिनांक 26.06.2020 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिंगरौली/सह अध्यक्ष खंड स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद पंचायत वैढन के पत्रांक 2282 दिनांक 10.08.2020 मे निर्देशित किया गया है कि एनसीएल को कोयला खदान विस्तार हेतु ब्लॉक-बी के पक्ष में वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र हेतु ग्राम वन अधिकार समिति पडरी से प्रस्ताव चाहा गया है। वन क्षेत्र कि आराजी का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	वन क्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक/खसरा क्रमांक	रकवा (हेक्ट में)
1	पडरी	PF-277	11.059
		PF-278	118.515
		PF-279	214.769
		RF-281	205.417

अतः उपरोक्त के संबंध में निवेदन है कि उक्त बैठक में निर्धारित तिथि को आवश्यक रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें जिससे कि उक्त व्यपवर्तन के प्रस्ताव पर अगली कार्यवाही सुनिश्चित कि ज सके।

सचिव
28.8.2020
ग्राम पंचायत पडरी

सचिव ग्राम पंचायत पडरी जनपद पंचायत वैढन जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

प्रतिलिपि

1. श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जनपद पंचायत वैढन कि ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. माननीय सरपंच महोदया, ग्राम पंचायत पडरी

सुचित दुआँ ग्राम वनाधिकार समिति बैठक 28.8.2020

	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
①	श्री सीताराम कोल	अध्यक्ष	Sitaram.C.
②	श्री शिव कुमार कोल	सचिव	
③	श्री अंजनी कोल	सदस्य	
④	श्री रघुनाथ कोल	-॥-	
⑤	श्री रामसेवक कोल	-॥-	
⑥	श्री रमागोविन्द कोल S/o बबला कोल	-॥-	
⑦	श्री गोविन्द कोल S/o बचन	-॥-	
⑧	श्री हरि कोल	-॥-	
⑨	श्रीमती नर्बदिया कोल	-॥-	
⑩	श्रीमती कौशिल्या कोल	-॥-	
⑪	श्रीमती शकुन्तला कोल	-॥-	

कार्यालय जनपद पंचायत बैढ़न,जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक/ 1491 /ज.पं./स्था./2020 — बैंढ्न दिनांक 27.08.2020

प्रति,

पंचायत सचिव /प्रधान, सरपंच
ग्राम पंचायत पड़री
जनपद पंचायत बैढ्न

विषयः- वन भूमि व्यपर्वतन प्रमाण पत्र हेतु ग्राम वन अधिकारी समिति पड़री से प्रस्ताव उपलब्ध कराने वावत्।

संदर्भः- **कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला सिंगरौली के कार्यालयीन पत्र क्र./458/आदि.वि./वन अधि./2020 सिंगरौली दिनांक 26.06.2020 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिंगरौली /सह अध्यक्ष खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद पंचायत बैढ्न के पत्रांक 2282 दिनांक 10.08. 2020**

---000---

विषयान्तर्गत लेख है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008, के तहत वन भूमि के व्यपर्वतक हेतु पड़री वन क्षेत्र के निम्न लिखित आराजी जो कि वन क्षेत्र है, उसे एनसीएल को कोयला खदान के विस्तार हेतु ब्लाक बी को देने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है।

अतः आप निम्नलिखित वन क्षेत्र की आराजी को, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित ग्राम वन अधिकार समिति पड़री से प्रस्ताव पारित कराकर उसका अनुमोदन ग्राम सभा से कराने के पश्चात् प्रस्ताव की प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

वन क्षेत्र की आराजी का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.	वन क्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	रकवा हें.
1	पड़री	RF 277	11-059 हे.
		RF 278	118-515 हे.
		RF 279	214-769 हे.
		RF281	205-417 हे.

उपरोक्तानुसार वर्णित आराजी का प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें।

Pramod
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बैढ़न
जिला सिंगरौली (म.प्र.)
बैंढ्न दिनांक 27.08.2020

पृ.क्र./1492/ज.पं./स्था./2020
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय, जिला सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जिला पंचायत सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।

Pramod
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बैढ़न
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक /2426 / न0नि0 / वन अधि. / 2020, सिंगरौली दिनांक– 07.8.2020

प्रति,

प्रभारी अधिकारी राजस्व
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिंगरौली

विषय– समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रो का निराकरण करने वावत्।

संदर्भ– सहायक आयुक्त अदिवासी विकास सिंगरौली का पत्र क्र0 458 दिनांक 26.06.2020

––00––

विषयांकित के सन्दर्भित पत्र का पूर्ण अवलोकन करने का कष्ट करें। कृपया सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिंगरौली का पत्र प्राप्त हुआ है जिसका निराकरण किया जाना है। पत्र की छायाप्रति आपकी ओर प्रोषित है।

अतः आवश्यक कार्यवाही की जाकर इस कार्यालय को जानकारी तीन दिवस के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– पत्र की छायाप्रति।

उपायुक्त
नगरपालिक निगम
सिंगरौली

कार्यालय नगर पालिक निगम सिंगरौली (म.प्र.)

पत्र क्र०/2191 /राजस्व/2020/ सिंगरौली दिनाँक- 19/08/20

प्रति,

श्रीमान महाप्रबंधक महो०
एनसीएल, ब्लाक-बी क्षेत्र गोरबी,

विषय: वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र जारी करने बाबत बैठक का आयोजन करने एवं उक्त संबध की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने के संबध में।

सन्दर्भ: पत्र क्र० 2426/न.नि./वन अधि./2020/ दि० 07/08/2020.

महोदय,

उपरोक्त बिषयक आपके द्वारा सिंगरौली नगर निगम अन्तर्गत वन क्षेत्र के कक्ष क्र० RF-276 में 70.023 हेक्ट० के व्यपवर्तन हेतु वन विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त तारतम्य में उक्त वन क्षेत्र के अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम के तहत दावा आपत्ति हेतु दि० 08/09/2020 को मुहेर में बैठक का आयोजन किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक की सार्वजनिक सूचना को स्थानीय समाचार पत्रों में संलग्न प्रारूप अनुसार प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- प्रकाशन हेतु प्रारूप

राजस्व अधिकारी
नगर पालिक निगम
सिंगरौली
08/2020

कार्यालय नगर पालिक निगम सिंगरौली

जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

क्रमांक: (9)

सिंगरौली दिनांक 19/08/2020

सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एनसीएल के ब्लॉक-बी परियोजना के लिए मुहेर वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक RF-276 में 73.023 हेक्ट वन भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) के आशय से मुहेर वार्ड में मोहल्ला समितियों/वन अधिकार समितियों के साथ बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सभी अनुसूचित एवं अन्य परम्परागत वनवासी संबन्धित मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रमाण के साथ अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक दिनांक 08.09.2020 को आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है।

आयुक्त

नगर पालिक निगम, सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

19/08/2020

राजस्व अधिकारी
नगर पालिक निगम
सिंगरौली

कार्यालय नगर पालिक निगम सिंगरौली

जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

क्रमांक: 9 सिंगरौली दिनांक 19/08/2020

सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एनसीएल के ब्लॉक-बी परियोजना के लिए मुहेर वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक RF-276 में 73.023 हेक्ट वन भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) के आशय से मुहेर वार्ड में मोहल्ला समितियों/वन अधिकार समितियों के साथ बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सभी अनुसूचित एवं अन्य परम्परागत वनवासी संबन्धित मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रमाण के साथ अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक दिनांक 08.09.2020 को आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है।

आयुक्त

नगर पालिक निगम, सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

19/08/2020

राजस्व अधिकारी
नगर पालिक निगम
सिंगरौली

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम सिंगरौली (म.प्र.)

पत्र क्र०/2191 /राजस्व/2020/ सिंगरौली दिनाँक- 19/08/20

प्रति,

श्री मान महाप्रबंधक महो०
एन.सी.एल, ब्लाक-बी क्षेत्र गोरबी,

बिषय: वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र जारी करने बाबत बैठक का आयोजन करने एवं उक्त संबध की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने के संबध में।

सन्दर्भ: पत्र क्र० 2426/न.नि./वन अधि./2020/ दि० 07/08/2020.

महोदय,

उपरोक्त बिषयक आपके द्वारा सिंगरौली नगर निगम अन्तर्गत वन क्षेत्र के कक्ष क्र० RF-276 में 70.023 हेक्ट. के व्यपवर्तन हेतु वन विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त तारतम्य में उक्त वन क्षेत्र के अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम के तहत दावा आपत्ति हेतु दि० 08/09/2020 को मुहेर में बैठक का आयोजन किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक की सार्वजनिक सूचना को स्थानीय समाचार पत्रों में संलग्न प्रारुप अनुसार प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- प्रकाशन हेतु प्रारुप

राजस्व अधिकारी
नगर पालिक निगम
सिंगरौली 08/2020

Scanned with CamScanner

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढन (सिंगरौली) जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक 2282/वनाधिकार/पट्टा/2020 सिंगरौली दिनांक 10/08/2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ सचिव
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

विषयः– वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण प्रदाय हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के निराकरण बावत्।

सन्दर्भः– कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सिंगरौली का पत्र क्रमांक/458/आदि.वि./वन.अधि. /2020 सिंगरौली दिनांक 26.06.2020

—000—

विषयांकित सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत महाप्रबंधक नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड ब्लॉक–बी क्षेत्र द्वारा सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित वन भूमि व्यपवर्तन हेतु लेख किया गया है।

अतः आप सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
बैढ़न जिला सिंगरौली

कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास,) जिला–सिंगरौली(म.प्र.)

क्रमांक / 458 / आदि.वि. / वन अधि. / 2020 — सिंगरौली दिनांक 26/06/2020

प्रति,

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम सिंगरौली
2. अनुविभागीय अधिकारी / अध्यक्ष
   उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
   बैढ़न जिला–सिंगरौली

विषयः– वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण प्रदाय हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के निराकरण बावत।

संदर्भः– महाप्रबंधक नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटिड ब्लाक–बी क्षेत्र के पत्र क्रमांक / NCL/BB/SO(M)/2020 DATE 24-06-2020

–00–

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत महाप्रबंधक नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटिड ब्लाक–बी क्षेत्र द्वारा निम्नानुसार वन भूमि व्यपवर्तन हेतु लेख किया गया है।

क्र.	उपखण्ड का नाम	प्रभावित ग्राम का नाम	कक्ष क्रमरांक	रकबा
1	सिंगरौली	मुहेर वन क्षेत्र	RF 276	73.023
2		पड़री वन क्षेत्र	RF 277	11.059
			RF 278	118.515
			RF 279	214.769
			RF 281	205.417
			Total	622.783

कृपया उपरोक्तानुसार वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गठित वन अधिकार समिति से प्रस्ताव पारित कर अभिमत सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र प्रदाय किया जा सके।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, सिंगरौली

पृ0क्रमांक / 459 / आदि.वि. / वन अधि. / 2020 — सिंगरौली दिनांक 26/06/2020

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–सिंगरौली।
2. उपायुक्त, नगर पालिक निगम सिंगरौली।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / सचिव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. महाप्रबंधक नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड ब्लाक–बी क्षेत्र जिला–सिंगरौली।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, सिंगरौली

कार्यालय जिला ...
दिनांक 13/07/2020
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नार्दर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
(एक मिनी-रत्न कम्पनी)
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

Northern Coalfields limited
(A Mini ratna Company)
(A Subsidiary of Coal India Limited)

कार्यालय महाप्रबंधक, ब्लॉक-बी परियोजना/OfficeofGeneralManager,Block-BProject

CIN-U10102MP1985GOI003160
An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company
ब्लॉक-बी, परियोजना,पो:गोरबी जिला:-सिंगरौली (म.प्र.)-486892/Block-B Project, Post-Gorbi, Distt-Singrauli (M.P.) PIN 486892
Phone: 07805-256092, (FAX) 256092 email: gmncibb@gmail.com website: www.nclcil.in

NCL/BB/SO(M)/2020/220 Date 24/6/2020

प्रति
श्रीमान सहायक आयुक्त महोदय
आदिवासी विकास विभाग सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

विषय: वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र प्रदाय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कार्यवाही बावत।

संदर्भ: उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 302/आदि.वि./वन अधि./2020 सिंगरौली दिनांक 09.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतरगत आपके संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी पत्र के साथ संलग्न पपत्र के अनुसार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	उपखंड का नाम	प्रभावित ग्राम का नाम	प्रभावित कक्ष/प्लॉट क्रमांक	रकबा
1	2	3	4	5
1	सिंगरौली	मुहेर वन क्षेत्र	RF-276	73.023
2	सिंगरौली	पडरी वन क्षेत्र	PF-277	11.059
3			PF-278	118.515
4			PF-279	214.769
5			RF-281	205.417
कुल क्षेत्रफल				**622.783**

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Received 24/06/2020

भवदीय
23/06/2020
महाप्रबंधक
ब्लॉक-बी क्षेत्र

प्रतिलिपि:
1. श्रीमान, वन मण्डल अधिकारी महोदय वन मण्डल सिंगरौली (सामान्य)

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(एक मिनी-रत्न कम्पनी)
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

Northern Coalfields limited
(A Mini ratna Company)
(A Subsidiary of Coal India Limited)

कार्यालय महाप्रबंधक, ब्लॉक-बी परियोजना/Office of General Manager, Block-B Project

CIN-U10102MP1985GOI003160
An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company
ब्लॉक-बी, परियोजना, पो:गोरबी जिला:-सिंगरौली (म.प्र.) -486892/Block-B Project, Post-Gorbi, Distt-Singrauli (M.P.) PIN 486892
Phone: 07805-256092, (FAX) 256092 email: gmnclbb@gmail.com website: www.nclcil.in

पत्र क्रमांक : एन.सी.एल./ब्लॉक-बी/स्टाफ अधिकारी(खनन)/वन/2020/200 दिनांक-05/05/2020

प्रति,
श्रीमान, कलेक्टर महोदय
कलेक्ट्रेट कार्यालय, वैढ़न
जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

विषय: Revised letter for Issue of NoC for the settlement of rights of the Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers under "The Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006" for the purpose of diversion of 622.783 Ha. Forest Land for Block-B Expansion Opencast Project (8.00 MTPA) of NCL situated in Singrauli District of Madhya Pradesh.

संदर्भ: एन.सी.एल./ब्लॉक-बी/स्टाफ अधिकारी(खनन)/वन/2020/28 **दिनांक**- 23/04/2020 (Enclosed)

महोदय,

-----00-----

This is for kind information that for the expansion of Block-B Project, NCL from 5.47 Mtpa to 8 Mtpa, further 622.783 ha. forest land is required to be diverted for non-forest purpose. For the purpose of diversion of forest land, NoC for the settlement of rights under the "The Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006" is required. As per our knowledge there is no Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers living inside the proposed forest area to be diverted. The details of proposal for diversion of 622.783 ha. Forest Land is as under:-

क्रमांक	कक्ष/प्लॉट क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
1	RF-276	73.023
2	PF-277	11.059
3	PF-278	118.515
4	PF-279	214.769
5	RF-281	205.417
RF- Reserve Forest, PF- Protected Forest		
कुल आवेदित क्षेत्रफल		622.783

Continue...

It is requested that kindly provide NoC for the settlement of rights of the Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers under "The Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006" for 622.783 ha. Forest land required to be diverted for Block-B Expansion Opencast Project.

Encl: As Above

भवदीय

05/03/2012

महाप्रबंधक
ब्लॉक-बी परियोजना

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास) गनियारी छात्रावास वैढ़न जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

प्रतिलिपि:

(1) वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली ---------------(मध्यप्रदेश)
(2) महाप्रबंधक (वन), एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(एक मिनी-रत्न कम्पनी)
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

Northern Coalfields limited
(A Mini ratna Company)
(A Subsidiary of Coal India Limited)

कार्यालय महाप्रबंधक, ब्लॉक-बी परियोजना/Office of General Manager, Block-B Project

CIN-U10102MP1985GOI003160
An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company
ब्लॉक-बी, परियोजना, पो:गोरबी जिला:-सिंगरौली (म.प्र.)-486892/Block-B Project, Post-Gorbi, Distt-Singrauli (M.P.) PIN 486892
Phone: 07805-256092, (FAX) 256092 email: gmnclbb@gmail.com website: www.nclcil.in

पत्र क्रमांक : एन.सी.एल./ब्लॉक-बी/स्टाफ अधिकारी(खनन)/वन/2020/28 दिनांक-23./01/2020

प्रति,

श्रीमान, कलेक्टर महोदय
कलेक्ट्रेट कार्यालय, वैढन
जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

विषय: **Issue of NoC for the settlement of rights of the Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers under "The Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006" for the purpose of diversion of 623.25 Ha. Forest Land for Block-B Expansion Opencast Project (8.00 MTPA) of NCL situated in Singrauli District of Madhya Pradesh.**

----00----

महोदय,

This is for kind information that for the expansion of Block-B Project, NCL from 5.47 Mtpa to 8 Mtpa, further 623.25 ha. forest land is required to be diverted for non-forest purpose. For the purpose of diversion of forest land, NoC for the settlement of rights under the "The Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006" is required. As per our knowledge there is no Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers living inside the proposed forest area to be diverted. The details of proposal for diversion of 623.25 ha. Forest Land is as under:-

क्रमांक	कक्ष/प्लॉट क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
1	RF-276	73.20
2	PF-277	11.10
3	PF-278	119.00
4	PF-279	214.75
5	RF-281	205.20
RF- Reserve Forest, PF- Protected Forest		
कुल आवेदित क्षेत्रफल		623.25

Continue...

It is requested that kindly provide NoC for the settlement of rights of the Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers under "The Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006" for 623.25 ha. Forest land required to be diverted for Block-B Expansion Opencast Project.

Enclosure:

(1) CBA (A&D) Act, 1957 Notification no. SO No. 1037. dtd. 06.05.1989, SO No. 1897 dtd. 18.07.1992 & Section-4 SO No. 1621 dtd 29.08.2019 under which land has been acquired

(2) Survey of India topo sheet

भवदीय

22/01/2020

महाप्रबंधक

ब्लॉक-बी परियोजना

22/01/20

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास) गनियारी छात्रावास वैढ़न जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

प्रतिलिपिः

(1) वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली ----------------(मध्यप्रदेश)

(2) महाप्रबंधक (वन), एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली (मध्यप्रदेश)